

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-25.02.2024

सेवा में,

**RAVI CHAUDHARY,**  
K K TEACHERS TRAINING COLLEGE,  
MANORAM NAGAR BEKAR BANDH DHANBAD JHARKHAND.

विषय :- मौजा-KAPASARA, प्लाट नं0-731, खाता न0-07, वार्ड नं0-00, थाना-GOVINDPUR, जिला-धनबाद में निर्मित कॉलेज भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित निर्मित कॉलेज भवन की स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धनबाद के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक जाँच कराई गई। उन्होंने अपने ज्ञापांक-118, दिनांक-25.02.2024 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में उक्त कॉलेज भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :

1. अग्निशमन कार्य हेतु भवन में कम से कम दस-दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के दोनों स्टेयरकेश में वेज राईजर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
3. कॉलेज भवन के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय। कॉलेज भवन के चारों तरफ रिंग मेन्स का निर्माण किया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
4. 450ली0/मि0 क्षमता का एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
5. इन पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
6. सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
7. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
8. कॉलेज भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
9. कॉलेज भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. कॉलेज भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम, ऑडिटोरियम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co<sub>2</sub> Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
11. कॉलेज भवन के प्रत्येक स्टेयरकेश के प्रत्येक तलों पर ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
12. कॉलेज भवन के सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
13. कॉलेज भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
14. कॉलेज भवन के ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
15. कॉलेज भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
  - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
  - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
  - iii. Water CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
16. कॉलेज भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

17. कॉलेज भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
18. कॉलेज भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
19. कॉलेज भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
20. भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
21. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
22. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

**(जगजीवन राम)**

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।